अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम नरेन्द्र,विरेन्द्र, सुरेन्द्र वगै0

किस्म मुकदमा धारा दावा 177

मुकदमा न0 403/2021
दिनांक 07.03.2022

आदेश

प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। बहस सुनी गई। मनन किया गया। अतः भूमि खेत ख0न0 861 रकबा 3.38 है0 स्थित ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री राधेश्याम एड0 पेश होकर बताया की प्रतिवादीगण के खेत में सिर्फ एक मोबाईल का टावर रकबा 0.03 है0 में लगा हुआ है शेष भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा खेंती की जाती है। दस्तावेज पेश किये । अवलोकन किया गया । अतः भूमि खेत ख0न0 861 रकबा 3.38 है0 स्थित ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ में मूल खातेदारों के कब्जे काश्त की भूमि को छोड़कर टावर की भूमि को राजहक में लिया जाकर वाद वादीगण को आंशिक स्वीकार किया जाता है। मूल खातेदारो को पाबन्द भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें। आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ स्वयं मौके पर जाकर भूमि खेत ख0न0 861 रकबा 3.38 है0 स्थित ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ की समस्त विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण कर ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़